

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6958

/ चार-12-14 / 10

जबलपुर, दिनांक 16 / 11 / 2021


रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 13 / गोपनीय / 2021 जबलपुर दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा

कु0 नीता गुप्ता, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त किये जाने तथा मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2446 / 21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 द्वारा चयन ग्रेड वेतनमान रूपये 57700-70290/- में प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

चयनग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दिनांक को एंट्री वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्राप्त वेतन व दिनांक तथा चयनग्रेड वेतनमान में आगामी वे0व0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.
27.08.2018	57700.00 28.07.2018 28.07.2019 28.07.2020 28.07.2021	58930.00 60310.00 61690.00 63070.00	27.08.2018 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021

नोट:- मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत कु0 गुप्ता की दिनांक 28.07.2020 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत की गई है तथा स्थितियाँ सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

  
(अजय पवार) 15.11.2021

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 16 / 11 / 2021


B/6959

पृष्ठांकन क्रमांक..... / चार-12-14 / 10

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर/देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. कार्यालय रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, केरवा डेम रोड़, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. कु0 नीता गुप्ता, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, केरवा डेम रोड़, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायब्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

  
रजिस्ट्रार(एम)



